आवश्यक/महत्वपूर्ण

संख्या-1/2018/53/60-1-2018

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1 **दिनांक: लखनऊ: 22 जनवरी, 2018**

विषय- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम-2015 के अन्तर्गत पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त गृहों में आवासित संवासियों के चिकित्सीय परीक्षण कराये जाने एवं अन्य आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त विभिन्न राजकीय एवं स्वैच्छिक संस्थाओं में बालक, बालिकायें एवं महिलायें आवासित हैं। वर्तमान में प्रदेश में ठण्ड का प्रकोप जारी है, अतएव ऐसी स्थिति में तत्काल निम्नलिखित कार्यवाही अविलम्ब सुनिश्चित की जाय-

1. सभी गृहों में आवासित संवासियों को पर्याप्त मात्रा में ऊनी कपड़े उपलब्ध कराये जायें एवं पहनाये रखें।
2. संवासियों के कमरों को गर्म रखने की समुचित एवं सुरक्षित व्यवस्था की जाय।
3. सभी संवासियों को गद्दे, रजाई, कम्बल, चादर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध करायी जाय।
4. निर्धारित मेनू के अनुसार गृहों पर भोजन तैयार कराया जाय एवं समय से संवासियों को खाने के लिये उपलब्ध कराया जाय।
5. सभी संवासियों का तत्काल मेडिकल स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाय, इसके लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों को तत्काल मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिलाधिकारी के माध्यम से नामित
6. कराकर किया जाय। प्रत्येक बाल गृह तथा महिला शरणालय के लिए एक मेडिकल आफिसर को ऑनकाल मेडिकल आफिसर के रूप में नामित करें ।
7. मेडिकल स्वास्थ्य परीक्षण में यदि किसी संवासी को किसी विशेष इलाज की आवश्यकता है तो उसे तत्काल विशेषज्ञ डाक्टरों की देखरेख में विशेषज्ञता वाले अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज कराया जाय।

.....2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैकता नही है ।क्षर की आवश्यइस पर हस्ता :अत ,
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8. सभी संवासियों/संवासिनियों का चिकित्सीय स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य रूप से कैम्प का आयोजन कराकर एक सप्ताह में पूर्ण करा लिये जायें।

9. राजकीय बाल गृह (शिशु), राजकीय बाल गृह (बालक/बालिका) एवं राजकीय महिला शरणालयों, विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण इकाईयों में आवासित छोटे बच्चों तथा मानसिक मंदित संवासियों की विशेष देखरेख की आवश्यकता है, स्वयं ऐसे प्रत्येक गृह एवं कक्ष का निरीक्षण कर सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करायी जाय।

10. बच्चों के कपड़े साफ-सुथरे रखे जायें। उनकी नियमित अन्तराल पर धुलाई एवं प्रेस (प्तवद) कराया जाय। वांशिग मशीनों को दुरूस्त रखा जाय, जहॉ वाशिंग मशीन उपलब्ध नहीं वहॉ आई0सी0पी0एस0 योजना के माध्यम से वांशिग मशीन उपलब्ध कराया जाये।

11. जिला परिवीक्षा अधिकारी प्रति सप्ताह अनिवार्य रूप से जनपद में स्थित सभी गृहों का निरीक्षण कर सभी व्यवस्थायें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायेंगे। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही के लिए अधीक्षक के साथ-साथ जिला परिवीक्षा अधिकारी को उत्तरदायी माना जायेगा।

12. बाल कल्याण समितियों द्वारा गृहों में भेजे गये बच्चों, विशेष रूप से नवजात शिशुओं के प्रकरण में उनका मेडिकल चेकअप अवश्य कराया जाय, यदि किसी शिशु की स्वास्थ्य स्थिति ठीक नहीं पायी जाती है, तो उसे आवश्यकतानुसार राजकीय चिकित्सालय के एन0आर0सी0 (पोषण पुनर्वास केन्द्र) में भर्ती कराया जाय। शिशु के पूर्णतया स्वस्थ्य होने के उपरान्त ही गृहों में वापस आवासित कराया जाय।

उपरोक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश देते हुए अपने स्तर से भी सभी गृहों का औचक निरीक्षण समय-समय पर करने का कष्ट करें, ताकि गृहों की व्यवस्था में आवश्यक सुधार परिलक्षित हो।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव

<u>संख्या-1/2018/53/60-1-2018, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को इस निवेदन के साथ कि उपरोक्त निर्देश इस हेतु निदेशक, स्वास्थ्य निदेशालय एवं जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को अपने स्तर से उचित निर्देश देने का कष्ट करें।

2- निदेशक, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3- समस्त उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारी/समस्त जिला परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैकता नही है ।क्षर की आवश्यइस पर हस्ता :अत ,
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैकता नही है ।क्षर की आवश्यइस पर हस्ता :अत ,

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।